	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 15, बुधवार, *शाके* 1941–नवम्बर 6, 2019 *Kartika 15 Wednesday, Saka 1941–November 6, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 5, 2019

संख्या प.5(28)उद्योग/1/2015:—राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य में कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप में क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण का गठन करती है।

1. संक्षिप्त नाम, क्षेत्राधिकार एवं प्रवर्तन :
   1. प्राधिकरण का नाम "राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण" होगा।
   2. प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य माना जाएगा।
   3. यह प्राधिकरण राज्य सरकार अधिसूचना की राजकीय राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
2. पंजीकृत कार्यालय :
   राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर होगा।
3. परिभाषा :
   इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
   (1) 'अधिनियम' से भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है।
   (2) नियम' से कम्पनीज सीएसआर रूल्स, 2014 अभिप्रेत है।
   (3) परामर्शदात्री मण्डल से राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण हेतु गठित परामर्शदात्री मण्डल अभिप्रेत है।
   (4) "प्राधिकरण" से "राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण" अभिप्रेत है।
   (5) 'राज्य सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
   (6) 'अधिशासी समिति' से अभिप्रेत निकाय होगा, जिसे प्राधिकरण के नियमित प्रशासनिक और प्रबंधकीय मामलों के निपटान के लिए प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार गठित किया जाता है।
   (7) "सीएसआर कोष" से अभिप्रेत वह कोष होगा, जो राज्य सरकार द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनीज सीएसआर रूल्स, 2014 के अनुरूप कार्यों हेतु गठित किया जाये।
   (8) कम्पनी से अभिप्रेत वह कम्पनी होगी, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा कम्पनीज सीएसआर रूल्स, 2014 के अन्तर्गत सीएसआर हेतु अर्ह मानी जाएगी।
4. प्राधिकरण के उद्देश्य :

1. इस प्राधिकरण का उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप में क्रियान्वित कराना, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करना एवं उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन करना एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करना।
2. राज्य में कंपनियों द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के सुविधाजनक संचालन, प्रबंधन, मार्गदर्शन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करना।
3. सीएसआर के बारे में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों और सुझावों को लागू करना।
4. सीएसआर कंपनियों, सीएसआर समितियों, परियोजना कार्यान्वयनकर्ताओं, लाभार्थियों और राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ राज्य में सीएसआर गतिविधियों को समन्वित करना।
5. सीएसआर संबंधी प्रावधानों के अनुरूप निधियों के उपयोग एवं कार्यों के संचालन हेतु एक समन्वयकारी एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण में सहयोग करना।
6. सीएसआर संबंधी प्रावधानों के अनुरूप सीएसआर कोष का निर्माण करना तथा उसमें से यथोचित रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
7. राजस्थान राज्य और भारत सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ सीएसआर फंड के उपयोग हेतु तंत्र विकसित करना।
8. सीएसआर कोष का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और सीएसआर कंपनियों को उनके सीएसआर योगदान के लिए समुचित प्रमाण पत्र प्रदान करना।
9. सीएसआर हेतु आवश्यक सेमीनार, बैठक या कॉनक्लेव आयोजित करते हुए उत्कृष्ट सीएसआर में कार्य करने वाली कम्पनियों को पुरस्कृत या सम्मानित करने की व्यवस्था करना।
10. राज्य में संचालित विभिन्न कम्पनियों के मध्य उनकी सीएसआर गतिविधियों की श्रेष्ठता को लेकर समुचित पारस्परिक प्रेरक वातावरण का निर्माण और उनके अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करना।
11. अच्छे नवाचारों व अनुभवों का परस्पर आदान–प्रदान करने में सेतु की भूमिका निभाना।

5\. प्राधिकरण के कार्य :

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, "राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण" निम्नलिखित कार्य करेगा–

1. भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों एवं उसकी धारा–135 के अनुसूची–VII में परिकल्पित गतिविधियों को समुचित रूप में क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करना।
2. भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों के अनुसार पात्र कम्पनियों का डेटा–बेस तैयार करना।
3. जिला कलेक्टरों और विभिन्न विभागों के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र की आवश्यकता का आकलन करना तथा समुचित कार्यों को चिन्हित करना। इन कार्यों के लिए समुचित कार्ययोजना बनाना और सहयोगी अथवा समन्वयकारी व्यक्तियों, विशिष्ट संगठनों या कार्मिकों को चिन्हित करना। इन सब के लिए समुचित डेटा–बेस तैयार करना।
4. सीएसआर हेतु समुचित वेबपोर्टल का निर्माण कर उसे अद्यतन करना।
5. विभिन्न माध्यमों से सीएसआर गतिविधियों की सफल कहानियों, कार्यक्रमों, गतिविधियों और परियोजनाओं को प्रचारित व प्रकाशित करना व आवश्यकतानुसार इन कार्यक्रमों का प्रलेखन, वीडियोग्राफी और जियोटैगिंग के कार्य करना।
6. पर्यवेक्षण और प्रभावी मूल्यांकन के लिए कम्पनियों के समन्वय से समुचित तंत्र विकसित करना।

7. सीएसआर गतिविधियों के सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना।
8. सीएसआर गतिविधियों में मिसिंग लिंक की पहचान करना और सीएसआर कंपनियों को कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से लिंकेज प्रदान करने के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करना।
9. विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने एवं उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित स्पष्टीकरण प्रदान करने एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अन्तर्गत राशि प्राप्त करने के लिए कोष स्थापित करना एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करना।
10. विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक सुझाव प्रदान करना व उनके सुझावों पर परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करना।
11. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की समुचित प्रेरणा के लिए विभिन्न अवसरों पर बैठकों, कार्यशालाओं, सेमीनार आदि का आयोजन कराना।

6. राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण हेतु एक परामर्शदात्री मण्डल का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नानुसार पदेन सदस्य होंगे :

क्र. स.	पद	परामर्श मण्डल में पद
1.	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, उद्योग विभाग	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4.	माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5.	माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
10.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
11.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
12.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
13.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग	सदस्य
14.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
15.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (विशेष रूप से पेयजल एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में)	सदस्य
16.	आयुक्त, निवेश संवर्धन ब्यूरो	सदस्य
17.	आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन	सदस्य
18.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग जगत के प्रतिनिधि/उद्यमी (4 सदस्य)	सदस्य (04)
19.	आयुक्त, उद्योग एवं शासन सचिव/विशिष्ट शासन	सदस्य सचिव एवं

	सचिव/आयुक्त, सीएसआर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग जगत के प्रतिनिधि/उद्यमी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, जिसे आगे भी बढाया जा सकेगा। प्राधिकरण के परामर्शदात्री मण्डल की बैठक में अन्य विशेषज्ञों या भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगा। उक्त परामर्शदात्री मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जा सकेगी।

7. राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण में निम्नानुसार सदस्य होंगे:

क्र.सं.	पद	प्राधिकरण में पद
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	उपाध्यक्ष
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग	सदस्य
8.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
10.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
11.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
12.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
13.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (विशेष रूप से पेयजल एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में)	सदस्य
14.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)	सदस्य
15.	आयुक्त, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो	सदस्य
16.	आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन	सदस्य
17.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग जगत के प्रतिनिधि/उद्यमी (4 सदस्य)	सदस्य (04)
18.	आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/आयुक्त, सीएसआर	सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उद्योग जगत के प्रतिनिधि/उद्यमी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, जिसे आगे भी बढाया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य प्राधिकरण के परामर्शदात्री मण्डल के ही सदस्य हो सकते अथवा उससे भिन्न भी हो सकते हैं। प्राधिकरण स्वयं के स्तर पर बैठक में विशेषज्ञों या भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगा।

8. राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण की अधिशाषी समिति (Executive Committee) निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	पद	प्राधिकरण में पद
1.	आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/आयुक्त, सीएसआर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	आयुक्त, निवेश संवर्द्धन ब्यूरो	सदस्य
3.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (जीएसटी)	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अथवा अधिकृत दो व्यावसायिक विशेषज्ञ (विधि, प्रबंधन, कंपनी अफेयर्स या सीएसआर से जुड़े हुए)	परियोजना निदेशक
6.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (सीएसआर)	सदस्य सचिव

आयुक्त उद्योग शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/आयुक्त, सीएसआर के रूप में प्राधिकरण के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और वे अधिशाषी समिति के अध्यक्ष भी होंगे। अधिशाषी समिति में अन्य विशेषज्ञों को भी राज्य सरकार की इच्छा अनुसार सम्मिलित किया जा सकेगा।

प्राधिकरण की अधिशाषी समिति (Executive Committee) अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपने अधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबंध समिति (Managment Committee) या उप समिति (Sub-Committee) का गठन कर सकेगी।

9. अधिशाषी समिति के कार्य एवं शक्तियां :

1. प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसके सभी कार्यों का निर्वहन करने का प्रयास करना अधिशासी समिति की जिम्मेदारी होगी। प्रबंधन समिति की देखरेख और नियंत्रण के अधीन सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगी। अधिशाषी समिति के पास प्राधिकरण के सभी मामलों और धन के प्रबंधन का नियंत्रण होगा। अधिशासी समिति के पास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सार्वजनिक या निजी संगठन या व्यक्तियों के साथ व्यवस्था करने की शक्ति होगी। अधिशासी समिति प्राधिकरण के प्रबंधन के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगी।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिशाषी समिति का अध्यक्ष होगा। प्राधिकरण के सभी कार्यों का संचालन, सामान्य पर्यवेक्षण व समन्वय करना मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य होगा।वह प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों को निर्धारित करेगा और नियमों के अनुसार आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का उपयोग करेगा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकरण के मामलों के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा और वह अपने अधीन बनी समितियों के कार्यों, दायित्वों और प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत होगा। वह इन समितियों के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
4. अधिशासी समिति किसी भी कार्ययोजना को तैयार करने, संशोधन करने या निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा, परन्तु उसे प्राधिकरण की बैठक में उसका कारण बताते हुए उसका अनुमोदन कराना होगा।

10. प्राधिकरण के कार्य संबंधी सामान्य प्रक्रिया :

1. प्राधिकरण की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार आयोजित की जायेगी, जिसमें सचिव, सीएसआर पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के दायित्वों के अनुरूप कार्यों की योजनाओं को प्रस्तुत किया जायेगा। इसमें सीएसआर के संबंध में प्राप्त सुझावों, नवाचारों एवं चुनौतियों के संबंध में सामान्य चर्चा की जायेगी।
2. प्राधिकरण की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार औद्योगिक संघों की सहभागिता प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसमें नियमानुसार उद्योगों के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत आधारभूत संरचना अथवा नवाचारपरक कार्यों को लिया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य सरकार को प्राप्त कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का प्राधिकरण की अधिशाषी समिति की स्वीकृति के उपरांत उन्हें तदनुरूप अनुमत किया जा सकेगा।
3. प्राधिकरण विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों कों इस कार्य हेतु निर्धारित सीएसआर पोर्टल पर उद्यमियों के अवलोकनार्थ डाले जाने में समन्वयकारी भूमिका अपनायेगा। इसमें से कोई भी कम्पनी स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य का चयन कर सकेगी और स्वयं ही क्रियान्वयन भी कर सकेगी। प्राधिकरण की भूमिका प्रेरक और समन्वयक की रहेगी। यदि कम्पनी स्वयं के स्तर पर कार्य करने के बजाये राशि देकर प्राधिकरण अथवा विभाग के माध्यम से कार्य कराने के इच्छुक होगी, तो इसमें प्राथमिकता स्वयं अथवा विभाग के माध्यम से इसे क्रियावित करेगा। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं कार्यों की समीक्षा कर प्राधिकरण स्वयं के पास उपलब्ध बजट मे से कार्य किये जाने हेतु योजना बनाते हुए क्रियान्वयन की कार्यवाही कर सकेगा। इसमें वह नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर निजी क्षेत्र की सेवा ले सकेगा अथवा संबंधित विभाग या इसके लिए सक्षम तकनीकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन कर सकेगा।

11. वित्तीय प्रावधान :

1. प्राधिकरण को अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए कोष के गठन की अनुमति होगी, जिसमें निम्नानुसार राशि प्राप्त हो सकती है–
   1. सीएसआर कंपनियों व संस्थानों से प्राप्त योगदान।
   2. दानदाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान।
   3. प्राधिकरण के बैंक खातों में राशि पर नियमित ब्याज से आय।
   4. राजकीय रूप से इस निधि में प्राप्त कोई अनुदान।

2. प्राधिकरण के पास उपलब्ध राशि से कराए जाने वाले कार्यों में राजकीय वित्तीय प्रावधानों की पालना की जाएगी। यदि प्राधिकरण द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई उपापन किया जाता है, तो उसमें राज्य सरकार के उपापन संबंधी सामान्य वित्तीय प्रावधानों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा तदनुरूप राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का सारभूत रूप में अनुसरण किया जाएगा। भारत सरकार द्वरा अनुमत माध्यमों जैसे GEM पोर्टल आदि के द्वारा भी किया जा सकेगा। समस्त प्रकार के उपापन (माल, सेवा एवं संकर्मो) स्वयं प्राधिकरण द्वारा अथवा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर उपापन समिति द्वारा किया जायेगा।
3. प्राधिकरण को उक्त क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए पृथक से बैंक अकाउंट खोले जाने तथा उसमें निर्धारित योजना एवं प्रावधान अनुसार व्यय किए जाने की अनुमति होगी। सीएसआर हेतु बनाये जा रहे पोर्टल पर चूंकि सामान्य दानदाताओं से धन राशि लेने या क्राउड फंडिंग से लेने की व्यवस्था हो सकती है, इसलिए दोनों के लिए अलग–अलग बैंक अकाउंट की व्यवस्था की जा सकती है। प्रवासी भारतीयों एवं विदेशों में रहने वाली कम्पनियों के माध्यम से भी धन राशि प्राप्त करने का निर्णय होने पर तदनुरूप पृथक बैंक अकाउंट खोलने का निर्णय किया जा सकता है। राशि प्राप्ति के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी उपलब्ध कराया जायेगा।

4. कंपनियाँ किसी प्रस्ताव व परियोजना के साथ या प्राधिकरण के खाते में धनराशि जमा कर सकेंगी। यदि मामला किसी विशिष्ट परियोजना के लिए है, तो निधि का उपयोग इसके लिए किया जाएगा और यदि यह किसी विशिष्ट परियोजना का उल्लेख किए बिना है, तो इसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा राज्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य प्राथमिकताओं के अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। प्राधिकरण की अधिशाषी समिति के पास अपने खाते में उपलब्ध धन के समुचित उपयोग के लिए पूर्ण अधिकार होंगे, परन्तु प्राधिकरण के पास उपलब्ध धन का उपयोग प्राधिकरण के अनुमोदन, कम्पनी द्वारा वांछित योजना एवं सीएसआर संबंधी सामान्य निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
5. प्राधिकरण के पास जमा राशि पर ब्याज का उपयोग सीएसआर एक्ट की अनुसूची–7 के अनुसार किया जाएगा। सीएसआर कंपनियों से प्राप्त धनराशि को उसके उद्देश्य की पूर्ति होने तक बैंक में निर्धारित ब्याज दर पर रखा जा सकता है परन्तु उस आय उपार्जन के लिए उसका निवेश नहीं किया जाएगा।

12. लेखा, लेखा परीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट :
1. राजस्थान सीएसआर प्राधिकरण का वैधानिक लेखा परीक्षा निर्धारित अधिनियमों और नियमों के अनुसार किया जाएगा।
2. प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समस्त प्रकार के आय–व्यय का लेखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा ऐसे लेखों की संपरीक्षा एक संपरीक्षक द्वारा की जायेगी, जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।
3. राजस्थान सीएसआर प्राधिकरण उचित खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को संधारित करेगा और 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों का विवरण तैयार करेगा और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. राजस्थान सीएसआर प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों एवं आय–व्यय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और इसे प्राधिकरण की वार्षिक आम बैठक में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसकी प्रति राजस्थान सरकार और राजस्थान सीएसआर प्राधिकरण के सदस्यों को सूचना के लिए भेजी जाएगी।

13. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति :

यदि इस अधिसूचना के किन्हीं भी उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी और ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

14. प्राधिकरण के सदस्य की उन्मुक्ति :

प्राधिकरण तथा प्रबंधन समिति का प्रत्येक सदस्य विकास कार्यों एवं वित्तीय राशि के समुचित उपयोग हेतु उत्तदायी होगा, परंतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्राधिकरण एवं उसकी प्रबंधन समिति के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के या प्राधिकरण या उसके किसी भी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी भी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी, जो इस प्राधिकरण एवं उसकी प्रबंधन समिति के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और ध्यान से की गयी हो।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।